

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़

पत्रांक / मान्यता /

प्रबन्धक,

यस0आर0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल दुकरा सदहा

प्रतापगढ़।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आप के तारीख 26-08-2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं यस0आर0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल दुकरा सदहा प्रतापगढ़, ग्राम दुकरा पो0 सदहा तह0 पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ को तारीख 01-04-2016 से तारीख 31-03-2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 - 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
 - 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
 - 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 - 5- सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
 - 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
 - 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 - 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

47

11

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—

5588 वर्गमीटर

कुल निर्मित क्षेत्र—

2550 वर्गमीटर

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल—

3038 वर्गमीटर

कक्षाओं की संख्या—

10

प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भाडागार के लिये कक्ष—

03

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय—

है

पेयजल सुविधा—

है

मिड—डे—मील पकाने के लिये रसोई—

—

बाधा रहित पहुच

है

अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता —उपलब्ध है

- 9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
- 10— विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12— स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13— विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14— आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **E-0093** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सुचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाए।
- 16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17— संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,



(माधव जी तिवारी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रतापगढ़

पृ0सं0/मान्यता/

/2016-17 दिनांक उक्तवत,

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1—अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ0प्र0, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2—सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3—सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
- 4—जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़।
- 5—खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।
- 6—कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेतु।

(माधव जी तिवारी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रतापगढ़